कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.)

drda.bmt@gmail.com Phone No -07824-222609 & Fax No: 222609

ज्ञापन

क्र./191 /जिग्राविअ/स्था./पी.एम.ए.वाय./2017 बेमेतरा, दिनांक 11/01/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत–बेमेतरा/बेरला/नवागढ़/साजा

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत "आवास मित्र" का चयन बाबत।**

संदर्भः– अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/15/अ.मु.स./पंग्राविवि./2017 नया रायपुर दिनांक 07.01.2017.

----00----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु **"आवास मित्र"** का चयन 100 हितग्राहियों के लिए कलस्टर अनुसार किया जाना है। जिसके लिए प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.01.2017 के माध्यम से योग्य– बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण, संबंधित जनपद क्षेत्र के बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों से दिनांक 19.01.2017 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो कार्यालयीन समय में उपस्थिति होकर अपना आवेदन निर्धारित योग्यता सहित, बंद लिफाफा में अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत अंतर्गत आवक–जावक शाखा में जमा करेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर **आवास मित्र**, एवं कलस्टर का नाम अवश्य अंकित करें। आवेदक कलस्टर क्षेत्र की जानकारी सम्बधित जनपद पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवास मित्र नियुक्ति से संबंधित नियम–निर्देश तथा कलस्टर की जानकारी जनपद पंचायत के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप चस्पा करें, ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन करने में आसानी हो।

प्राप्त आवेदन की तत्काल स्कुटनी कर दिनांक 23.01.2017 को 11:00 बजे जिला पंचायत में योजना के प्रभारी अधिकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएँ

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद की संभावित सं.	प्रोत्साहन राशि	न्युनतम शैक्षणिक अर्हता	रिमार्क	
					विवरण	%
1	2	3	4	5	6	7
1	"आवास मित्र" 1. ज.पंचा. बेमेतरा–06 2. ज.पंचा. बेरला–06 3. ज. पंचा. साजा–06 4.ज. पंचा. नवा.–06	24	1000/–-प्रति पूर्ण आवास पर (09 माह या अधिकतम 01 वर्ष में पूर्ण कराने पर) एवं 06 माह में पूर्ण कराने पर प्रति आवास 200/– पृथक से	**शैक्षणिक अर्हता**– बी.ई./डिप्लोमा, (सिविल उत्तीर्ण)/ 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी "आवास मित्र" चयन के पात्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात शेष अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।	**चयन का आधार**– अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना हेतु निम्नानुसार Weightage दी जायेगी। 01. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको का 02. बी.ई./डिप्लोमा का	75 % 25%

नियम व शर्तेः–

01. **समयावधिः–** "आवास मित्र" की सेवा अवधि उनके प्रभार के कलस्टर के प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के आवास पूर्ण होने तक या अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी।

02. **अवधि का गणनाः–**"आवास मित्र" के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना आवास स्वीकृत होने के साथ ही की जावेगी, जो अधिकतम 01 वर्ष की होगी।

03. **जॉब चार्टः–** हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
    - 09 माह या अधिकतम 01 वर्ष की समय–सीमा में आवास पूर्ण करना।
    - आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
    - हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
    - आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में सुनिश्चित कराना।

04. चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्ति किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर में सेवा ली जावेगी।

05. **आयुः–** "आवास मित्र" हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगें।

06. पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

07. **विशेषः–** चयनित "आवास मित्र" प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के संबंध में शासन– प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

संलग्नः– आवास मित्र हेतु दिशा–निर्देश।

Prajapati 11.1.17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

पृ. क्र./192 /जिग्राविअ/स्था./पी.एम.ए.वाय./2017 — बेमेतरा, दिनांक 11/01/2017

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, विकास आयुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Prajapati 11.1.17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण
अंतर्गत "आवास मित्र" हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वतः सत्यापित
पासपोर्ट साईज फोटो
चस्पा करें।

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,
जनपद पंचायत–.........................

1. कलस्टर का नाम –...
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) –...
   अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षर में) –...
3. पिता/पति का नाम –...
4. वर्ग (अना./अजा./अजजा/अपिव) –...
5. लिंग (पुरूष/महिला) –...
6. जन्मतिथी (अंको में) –...
   (शब्दों में) –...
7. मोबाईल नम्बर –...
8. दिनांक 01/01/2017 को आयु –वर्ष.......................माह...........दिन.........
9. पत्र व्यवहार का पता –...
   –...
   –...
10. स्थायी पता –...
   –...
   –...
   –...
11. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ?
    हाँ/नहीं
12. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	संलग्न प्रमाण पत्र ()
1	10वीं						
2	12वीं						
3	बी.ई.						
4	डिप्लोमा						

13. टीपः– जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, बी.ई./डिप्लोमा, अंतिम वर्ष की अंकसूची की प्रति के अलावा अन्य दस्तावेज संलग्न न करें।

स्थान ....
दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम व पता)

घोषणा पत्र

मैं ....यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी एवं संलग्न प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के आधार पर सही है। यदि इसमे किसी प्रकार कि जानकारी असत्य पायी जाती है। तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक का हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम व पता)